



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4403/2026

अनीस अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: आशीर्वाद मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है:

"I. न्याय के हित में, प्रतिवादी अधिकारियों (राजस्व) को निर्देश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए कि वे ग्राम बहेरी, परगना और पुलिस स्टेशन खानपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में स्थित 0.1340 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली अराजी संख्या 75 (जो राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है) को निजी व्यक्तियों, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 से 9 द्वारा किए गए अनाधिकृत कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त कराने का प्रयास करें (जिन्होंने इसे "घराउनी" में परिवर्तित कर दिया है)।"

II. याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीणों द्वारा दिनांक 01.09.2025 को दिए गए आवेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

2. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के विरुद्ध राहत चाहता है, जो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। इस संबंध में कानून सर्वविदित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और उचित उपाय सामान्य कानून के अंतर्गत आता है।

3. इस स्थिति में, यदि उचित समझा जाए तो सामान्य कानून के तहत उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ यह याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"